अनवान कयलादेवी V/s नेरादेवी
मुकदमा नंबर 55 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-08-25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण (प्रार्थीगण) अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी (विप्रार्थी) संख्या 1 की ओर वकील श्री श्रवण जांगिड उपस्थित, दीगर प्रतिवादीगण (विप्रार्थीगण)के नोटिस तामिलसुदा प्राप्त वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकंपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता की बहस है कि मूल वाद 11/2022 पेशी तारीख दिनांक 22.08.2022 को वादीगण व वादीगण अधिवक्ता की अदम हाजिरी व अदम पैरवी में न्यायालय श्री द्वारा खारिज कर दिया गया था वादीगणन खेती के काम में व्यस्त होने के कारण व न्यायालय श्री में उपस्थित नहीं हो सकी वादीगण पर्दानशीन महिला एवं अनपढ होने के कारण न्यायालय श्री में उपिस्थत नहीं हो सकी लिहाजा न्यायालय श्री द्वारा दिनांक 22.08.2022 को आपस्त किया जाकर मूल वाद पत्र मन्सुख करने के आदेश फरमाया जावे अन्यथा वादीगण न्याय से महरूम हो जायेगे। हमने वादीगण (प्रार्थीगण) अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थना पत्र के परीक्षणापरान्त यह प्रतीत होता है कि वादीगण की अज अदालत में अनुपस्थित जानबूझकर नहीं थी तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत कारण पर्याप्त एवं युक्तिसंगत है न्यायहित में वादीगण को अपना वाद का निर्णय गुण व दोष के आधार पर अवसर दिया जाना न्यायोचित है। लिहाजा वादीगण (प्रार्थीगण) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद का मन्सुख करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमारह होकर मूलवाद पत्र के साथ नत्थी हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2026.01.27 11:29:08 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	